न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या 105/2013 **RCMS 2013/00083**

वादी

1. छितरमल पुत्र बालूराम जाति कुमावत उम्र 45 वर्ष निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा इस्तकरार हक व खातेदारी घोषणा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से।

निर्णय

दिनॉक 09/02/2023

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में ग्राम पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 109 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 110 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा कुल रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा जिसके नवीन भू–प्रबन्ध कार्यवाही 1986–90 के दौरान नवीन खसरा नम्बर 70 रकबा 2.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.49 हैक्टर जुमले रकबा 2.70 हैक्टर कायम हुये, उपरोक्त भूमि सम्पूर्ण मौके पर एक ही चक व खेत की शक्ल मे है जौ भूतपूर्व जागीरदार ठिकाना कुचामनसिटी व भूतपूर्व जागीरदार ठिकाना पलाड़ा के जागीरदार की भूमि थी, जागीरदार के वक्त उपरोक्त भूमि दोनो जागीरदारान से वादी के दादा दलाराम पुत्र बिंजाराम ने हासल पर काश्त करने हेतु ली थी, जागीर के वक्त तय सुदा हासल वादी के दादा द्वारा तत्कालीन जागीरदार को अदा किया जाता रहा है तथा जीगर पुनःग्रहण के पश्चात निश्चित लगान सरकार में वादी के दादा द्वारा अदा किया जाता रहा था वे बतौर निरन्तर आजीवन काबिज रहे, दलाराम का स्वर्गवास सम्वत् 2019 के आस–पास हो जाने के बाद उनके [illegible]चन्द्र बालूराम बतौर उत्तराधिकारी काबिज रहे, बालूराम के पिता का स्वर्गवास दिनांक [illegible] 1971 को हो जाने पर वादी एक मात्र पुत्र अपने पिता की उपर्युक्त भूमि पर बतौर उत्तराधिकारी अपने पि[illegible] बड़े भाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:59:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

रामचन्द्र के साथ संयुक्त रूप से काबिज रहे, वादी के पिता के स्वर्गवास के वक्त वादी मात्र 2–3 वर्ष की अबोध अवस्था में था, इसी अवस्था में ही वादी का पालन पोषण भी वादी के ताउजी रामचन्द्र ने किया, वादी के ताउजी (वादी के पिता के बड़े भाई) का भी स्वर्गवास दिनॉक 17.08.1974 में हो गया, रामचन्द्र आजीवन अविवाहित रहे जिनके कोई पुत्र–पुत्री संतान नही थी, रामचन्द्र का निर्वसीयत रूप से स्वर्गवास हो जाने पर वादी एक मात्र अपने दादा–ताउ, पिता की उपर्युक्त कृषि भूमि पर निरन्तर व अवैध रूप से बतौर उत्तराधिकारी काबिज चला आ रहा है, उपरोक्त कृषि भूमि पर वादी के दादा दलाराम को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व से निरन्तर व जायज रूप से बतौर आजीवन काबिज रहने से उन्हे स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए, सम्वत 2010 से निरन्तर उनके नई गिरदावरी इन्द्राज होता रहा है, सम्वत 2011 में उनका स्वर्गवास होने पर उनके बड़े पुत्र व कर्ता खानदान रामचन्द्र के नाम गिरदावरी इन्द्राज भौतिक कब्जा काश्त के होता रहा, वादी के पिता बालूराम अपने बड़े भाई रामचन्द्र के साथ संयुक्त परिवार के साथ में रहकर उक्त भूमि पर बतौर उत्तराधिकारी काबिज रहे है एवं जो अधिकारी दानाराम जी प्राप्त व प्रदत्त रहे व वे तमाम अधिकार जरिये उत्तराधिकार वादी एक मात्र उत्तराधिकारी को पिता स्वतः प्राप्त हो गए, वादी अपने दादा की उपरोक्त भूमि पर निरन्तर व जायज रूप से बतौर कृषक काबिज चला आर रहा है , काफी वर्ष पहले सरकार द्वारा बारानी भूमि का लगान माफ कर देने से ताबाद कोई लगान सरकार में जमा नही हो पाया है, वादी अपनी पैतृक उपरोक्त भूमि की खातेदारी घोषणा करने का पूर्ण हकदार है,पटवारी हल्का से अपने पूर्वजो की भूमि के खाते में नामान्तरकरण करने बाबत कहा तो रेकर्ड देखकर बताया कि वादी के पूर्वजों का नाम ही उपरोक्त खाते में दर्ज नही है, बल्कि सरकारी खाते में दर्ज कर दिया जबकि वादी छितरमल की उपरोक्त भूमि पर वही स्थित उत्तराधिकारी निरन्तर काश्त करता आ रहा है तथा भूमि का उपयोग–उपभोग करता आ रहा है वादी अपने पूर्वजों की उपर्युक्त भूमि की खातेदारी बतौर उत्तराधिकारी दर्ज कराने का पूर्ण हकदार है, वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 70 रकबा 2.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.49 हैक्टर कुल रकबा 2.70 हैक्टर सम्पूर्ण का वादी काबिज खातेदार कृषक है इस आशय की खातेदारी आदेश/घोषणा की डिक्री सादिर फरमाई जावें तथा राजस्व रेकार्ड में उपरोक्तानुसार इन्द्राज करने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:59:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल उपलब्ध है, दस्तावेजी साक्ष्य में वादी की ओर से जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम पलाड़ा के गत खसरा नम्बर 109, 110 सम्वत 2010–2013, 2014–2017, 2026–2029, 2030–2033, 2037–2040, 2042–2045 की प्रमाणित नकल, मिलान क्षेत्रफल ग्राम पलाड़ा के गत खसरा नम्बर 109 110 नये खसरा नम्बर 70 71 की प्रमाणित नकल, गिरदावरी नकल ग्राम पलाड़ा के गत खसरा नम्बर 109, 110 सम्वत 2010–2013, 2014–2017, 2018–2021,2030–2032 की प्रमाणित नकल, नकल गिरदावरी सम्वत 2069–2075 वर्तमान खसरा नम्बर 70, 71 की प्रमाणित प्रति, सम्वत 2065–2068 की जमाबंदी की नकल, ग्राम पंचायत पलाड़ा द्वारा जारी बालुराम के मृत्यु प्रमाण–पत्र दिनॉक 29.04.2008 की छाया प्रति, मतदाता सूची विधानसभा क्षेत्र परबतसर भाग संख्या 110 ग्राम परबतसर की क्रम संख्या 832 से 833 की आंशिक प्रमाणित प्रति की दिनॉक 23.04.2008 को जारी की छाया प्रति, सरपंच ग्राम पंचायत पलाड़ा द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दल्लाराम के वारिसान की सूची की छाया प्रति जिसमें तारीख एवं नम्बर अंकित नही है, राशन कार्ड नगरपालिका परबतसर द्वारा जारी कार्ड सं.59 छितरमल पुत्र बालूराम की छाया प्रति, ग्राम पंचायत बोरावड़ द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण–पत्र रामचन्द्र पुत्र दल्लाराम जारी दिनॉक 07.05.2008 की छाया प्रति प्रस्तुत की है। प्रतिवादी द्वारा जवाब के अलावा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। मौखिक साक्ष्य में वादी ने स्वयं का मुख्य परीक्षण में शपथ–पत्र तथा गवाह के रूप में पूसाराम का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि राजकीय दर्ज है, गत भू–प्रबन्ध व वर्तमान भू–प्रबन्ध में उक्त भूमि राजकीय दर्ज है, राजकीय भूमि मे किसी व्यक्ति विशेष के नाम बिना किसी सक्षम न्यायालय या अधिकारी के आदेश के खातेदारी दर्ज किये जाने के अधिकार नही है, वाद लाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है जिसके अभाव में वाद काबिल खारिज होने से खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण में प्रस्तुत वाद एवं जवाब के आधार पर निम्नवत तनकियात कायम की गई :–

1.– आया वादी ग्राम पलाड़ा के खसरा नम्बर 70 [illegible] 21 हैक्टर, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.49 हैक्टर कुल रकबा 2.70 हैक्टर की खातेदारी [illegible] की घोषणा कराने का मुश्तहक है ?

जिम्मे वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:59:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

2.– आया प्रतिवादी उपरोक्त भूमि राजकीय खाते में दर्ज चली आ रही है, जिसकी खातेदारी वादी के नाम दर्ज नही की जाये ?

जिम्मे प्रतिवादी

3.– आया वाद 80 सी.पी.के नोटिस के अभाव में वाद चलने योग्य नही है ?

जिम्मे प्रतिवादी

4.– अनुतोष ।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई, वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा ग्राम पलाड़ा के उपरोक्त खसरान में खातदेारी दिये जाने का कथन किया, प्रतिवादी ने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि गत सेटलमेंट एवं वर्तमान सेटलमेंट में भूमि राजकीय दर्ज रही है तथा आज दिन भी राजकीय ही दर्ज है जिसमें किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही हो सकते साथी ही निवेदन किया है कि धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नही दिया गया है जो आवश्यक है इसलिये वाद खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में तनकीवार तनकी निर्णित निम्न प्रकार की जाती है :–

तनकी संख्या 1

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था, जिसने उपरोक्त वादग्रस्त के संबंध में प्रस्तुत जमाबंदी खेवट खतौनी, गिरदावरी नकल, उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र, मिलान क्षेत्रफल, मृत्यु प्रमाण पत्र की नकले/छाया प्रतियॉ प्रस्तुत की। नकल खेवट खतौनी सम्वत 2010–2013 ग्राम पलाड़ा के खसरा नम्बर 109 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 110 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा कुल रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा में अलावा जोत काबिल काश्त राजकीय भूमि दर्ज है, इसी प्रकार सम्वत 2014–2017, 2026–2029, 2030–2033 में प्रविष्टि दर्ज है, सम्वत 2037–2040 व 2042–2045 में भूमि अधिकारी के कॉलम में <u>राजस्थान सरकार</u> तथा नाम कृषक विवरण में पुरानी पड़त अलावा जोत काबिल कास्त प्रविष्टि अंकित है, गिरदावरी नकल ग्राम पलाड़ा के गत खसरा नम्बर 109 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 110 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा नाम भूमि अधिकारी के कॉलम में ठी.कुचामन 1/2 आनन्दसिंह 1/2 तथा नाम उप कृषक के कॉलम में मकबूजा जागीर तथा सम्वत 2010 में प. ज., सम्वत 2011 में मोठ दल्ला पुत्र बींजा कमार सा. देह, सम्वत 2012 में बदस्तूर 1/2 आनन्दसिंह 1/2 जागीरदार बाजरी मोठ, सम्वत [illegible] दल्ला पुत्र बींजा 1/2 आनन्दसिंह 1/2 प्रविष्टि अंकित है, 2014 नाम भूमि अधिकारी [illegible] ग्यारह तथा नाम उप कृषक के कॉलम में अलावा जोत काबिल कास्त अंकित [illegible] तथा आगे के कॉलम में मोठ प.ज.दला

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:59:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

पुत्र बींजा कुम्हार, सम्वत 2015 में प.ज. बिला कब्जा, सम्वत 2016 में प.ज. व मोठ बकब्जा दला पुत्र बींजा कुम्हार सा. देह, समवत 2017 में प.ज.बकब्जा दला पुत्र बींजा कुम्हार सा. देह, सम्वत 2018 नाम भूमि अधिकारी 'के कॉलम में राजस्थान सरकार तथा नाम उप कृषक के कॉलम में अलावा जोत काबिल काश्त अंकित है तथा आगे के कॉलम में बा.दला पुत्र बींजा कुमार, सम्वत 2019 में प.ज.बदस्तूर, सम्वत 2020 मे मोठ रामचन्द्र पुत्र दला, सम्वत 2021 में मोठ ग्वार , अंकित है, गिरदावरी नकल सम्वत 2030 से 2031 नाम भूमि अधिकारी के कॉलम में राजस्थान सरकार तथा नाम उप कृषक के कॉलम में अलावा जोत काबिल काश्त अंकित है तथा जिन्स के कॉलम में मोठ प.ज. अंकित है तथा किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम अंकित नही होकर अलावा जोत काबिल काश्त दर्ज है इसी प्रकार गिरदावरी नकल सम्वत 2032–2034 में प्रविष्टि अंकित है, गिरदावरी नकल सम्वत 2069–2075 ग्राम पलाड़ा के खसरा नम्बर 70 71 में 6 वर्ष या अधिक परती (जुताई हेतु)पड़त प्रविष्टि अंकित है, मिलान क्षेत्रफल अनुसार ग्राम पलाड़ा के गत खसरा नम्बर 109 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा से नये खसरा नम्बर 70 रकबा 2.21 बारानी तृतीय तथा खसरा नम्बर 110 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा से नये खसरा नम्बर 0.49 हैक्टर बारानी तृतीय कायम हुये है, प्रस्तुत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अनुसार जिसमें तारीख एवं पत्रांक अंकित नही है जो सरपंच ग्राम पंचायत पलाड़ा द्वारा जारी किया गया है जिसमें छीतरमल के अलावा वादी के एक बहन भी बताई गई है जो इस वाद पत्र में पक्षकार नही है, वादी का कथन है कि उसके अलावा बालूराम के कोई वारिस नही है, प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति अनुसार बालूराम की मृत्यु 15.04.1971 को होना अंकित है जबकि प्रस्तुत मतदाता सूची में वादी की उम्र वर्ष 1999 में 26 वर्ष अंकित है जिससे साफ जाहिर होता है कि वरवक्त वादी का जन्म ही नही हुआ है, साथ ही वादी द्वारा अपने आप को दलाराम का पोता तथा बालूराम का पुत्र बताया है परन्तु ऐसा कोई विधिक साक्ष्य या सक्षम न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत नही की है जिससे साबित हो सके कि वादी ही दलाराम के वंशज है केवल मात्र बालूराम के मृत्यु प्रमाण पत्र से दलाराम का पोत्र साबित होना उपलब्ध दस्तावेजो से प्रमाणित नही होता है, वादग्रस्त भूमि पर कुछ ही समय तक दलाराम पुत्र बींजाराम कुम्हार की काश्त रही है जिसकी भी सम्वत 2019 में मृत्यु होने के पश्चात उसके विधिक वारिसो द्वारा कब्जा काश्त होना साबित नही है तथा वादी का कथन कि उनके द्वारा लगान जमा कराया जाता है परन्तु किसी भी प्रकार की लगान रसीद नही है, लगान केवल खातेदार द्वारा ही जमा कराया जाता है, वादग्रस्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:39:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

गत सेटलमेंट एवं वर्तमान सेटलमेंट में दोनो ही समय राजकीय दर्ज रही है इसलिए लगान लगने एवं जमा कराने का प्रश्न ही नही उठता है, रामचन्द्र की मृत्यु भी 17.8.1974 को हो चुकी है, वादी का कथन है कि उसके बड़े पिता रामचन्द्र द्वारा लालन पोषण किया गया है, उस समय वादी 2–3 वर्ष का था, जब बड़े पिता की भी वर्ष 1974 में मृत्यु हो चुकी थी तो राजकीय भूमि पर कब्जा काश्त वादी का लगातार रहना कथन अपने आप में ही मिथ्या एवं झूंठा है, वादी का निवास स्थान ही पलाड़ा नही रहा है यह सब तथ्य उपलब्ध साक्ष्यों से अपने आप में ही साबित है, प्रस्तुत राश्न कार्ड की छाया प्रति एवं मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति की छाया प्रति में भी वादी का निवास स्थान परबतसर रहा है, वाद प्रस्तुती समय वादी व उनके अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नही दिया गया है तथा नही वाद प्रस्तुती के समय 80 सी.पी.सी.की छूट प्राप्त की है। वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य शपथ–पत्रों से भी किसी प्रकार की ताईद नही होती है। प्रकरण के विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि राजकीय दर्ज रहती आई है तथा आज दिन भी राजकीय खाते में दर्ज है जिसमें किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही हो सकते। अतः यह तनकी वादी साबित करने में असफल रहा है, अतः तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2</u>

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था, जिसने कथन किया है कि राजकीय भूमि की खातेदारी किसी भी सूरत में वादी के नाम दर्ज नही की जावे, उपलब्ध जमाबन्दी एवं गिरदावरी नकलो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि राजकीय खाते मे दर्ज रहती आई है तथा आज दिन भी वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर वादी का कब्जा काश्त दर्ज नही है तथा न ही किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 3</u>

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था, प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार या उसके प्रतिनिधि के विरूद्व किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत किया जाता है तो उसे 80 सी.पी.सी.का नोटिस दिया जाकर ही वाद प्रस्तुत किया जाता है या न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने का ठोस कारण बताकर वाद के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाता है, उक्त दोनो ही तथ्यों में वादी ने किसी प्रकार की कार्यवाही नही की है अतः यह तनकी भी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:59:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

तनकी संख्या 4 –अनुतोष

उपरोक्त प्रकरण के विवेचन से स्पष्ट है कि तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्व तथा तनकी संख्या 2 व 3 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में वादी अपना वाद साबित करने में असफल रहा है, जिसके कारण वाद वादी काबिल खारिज योग्य है।

आदेश

वाद वादी साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 09/02/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
छुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
छुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:59:33 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : **बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या 105/2013 **RCMS 2013/00083**

वादी

1. छितरमल पुत्र बालूराम जाति कुमावत उम्र 45 वर्ष निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा इस्तकरार हक व खातेदारी घोषणा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी ..... मिनजानिब मुदई रू–बरू ..... अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, **वाद वादी साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर भामिल मिसल किया जावे।**

निज ..... मुबलिग ..... बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 09 माह 02 सन् 2023 ..... को जारी की गई।

दस्तखत.....

ओहदा उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:59:33 IST
Reason: SelfAttested